इच्छामृत्यु को वैध बनाने की कोशिश

मरणासन्न, लाइलाज व्यक्तियों के लिए डॉक्टरी मदद से खुदकुशी की अनुमति एक विवादास्पद विषय रहा है। वैसे कनाडा ने पिछले वर्ष एक विधेयक पारित करके इसे वैध घोषित कर दिया है। यूएस के 5 प्रांतों में इसकी अनुमति है या इसे अपराध नहीं माना जाता है। अब यूएस के 20 प्रांतों में इस आशय के विधेयक लाए जा रहे हैं। यूएस के संगठन डेथ विद डिग्निटी के अध्यक्ष पेग सैन्डीन ने कहा है कि वर्ष 2015 इस मामले में निर्णायक होगा।

दरअसल डॉक्टरी मदद से खुदकुशी के मुद्दे को अचानक महत्व तब मिला था जब पिछले वर्ष एक 29 वर्षीय युवती ब्रिटेनी मैनार्ड ओरेगन प्रांत में शिफ्ट हुई थी जहां यह प्रक्रिया वैध है। मैनार्ड मस्तिष्क कैंसर से पीड़ित थी और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः उसने पिछले वर्ष नवंबर में खुदकुशी कर ली।

ज़ाहिर है, डॉक्टरी मदद से खुदकुशी का मामला सीधा-सादा नहीं है। धार्मिक समूह तो इसका विरोध करते ही हैं, विकलांगता के मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ता और समूह भी इस विचार के विरोधी हैं। विकलांगता कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के विकल्प को कानूनी मान्यता देने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि विकलांग लोगों का जीवन जीने के काबिल नहीं है क्योंकि ऊपर से चाहे जो लगे मगर तथ्य यह है कि यह निर्णय उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से थोपा ही जाता है।

वैसे इच्छामृत्यु विरोधी समूह नॉट यट डेड के प्रमुख डिआने कोलमैन का मत है कि ओरेगन प्रांत में यह कानून अपने मकसद में नाकाम रहा है। आम मान्यता यह है कि यह कानून उन लोगों की मदद करता है जो भयानक तकलीफ, या भयानक तकलीफ की आशंका से त्रस्त होकर अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेना चाहते हैं। इसके तहत किया यह जाता है कि उस व्यक्ति को नींद की दवाइयों की भारी खुराक दे दी जाती है।

मगर हकीकत में जिन लोगों ने इस तरह के आवेदन किए उनमें से मात्र एक-तिहाई ने ही अपने निर्णय की वजह के रूप में असहनीय दर्द का ज़िक्र किया। लोगों की वास्तविक चिंताएं तो स्वायत्तता छिन जाना (91 प्रतिशत), गरिमा खोना (71 प्रतिशत), या परिवार पर बोझ बनने का एहसास (40 प्रतिशत) रहीं। कोलमैन को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इन कारणों से मृत्यु का वरण करता है तो यह कोई विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी-सा लगता है।

वैसे ओरेगन प्रांत के कानून में एक प्रावधान यह है कि डॉक्टर प्रमाणित करे कि सम्बंधित व्यक्ति के छः माह से ज़्यादा जीवित रहने की संभावना नहीं है। मगर आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की दवाइयां चाहीं उन्होंने उन दवाइयों का सेवन छः से भी अधिक समय, कभी-कभी तो सालों बाद किया। ज़ाहिर है, ये लोग मरणासन्न नहीं थे। यानी यह भी एक विवाद का विषय रहेगा कि क्या डॉक्टर वास्तव में किसी व्यक्ति के जीने की संभावनाओं का सटीक आकलन कर सकते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***